


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अमर कुमार शर्मा, आपूर्ति निरीक्षक जिन्हें विभागीय आदेश संख्या- 6669 दिनांक- 21.08.2015 द्वारा प्रखंड- पंडौल, मधुबनी से प्रखंड पिपरा, जिला- सुपौल में पदस्थापित किया गया था, को अगले आदेश तक आपूर्ति निरीक्षक, पंडौल, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. विभागीय आदेश संख्या- 6669 दिनांक- 21.08.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. इनका स्थानांतरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, इसलिए नये पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



(शैलेन्द्र कुमार चौधरी)

सरकार के अपर सचिव।

जापांक-प्र0-3-विविध-11/2014- 7244

खाद्य, पटना/दिनांक- 09.09.15

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा एवं दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं सुपौल/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री अमर कुमार शर्मा, आपूर्ति निरीक्षक, पंडौल, मधुबनी (सम्प्रति प्रखंड- पिपरा, सुपौल) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।